

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०

जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2020-21 की अवधि के लिये मुद्रण सामग्री (स्याहीयां/प्लेट/कैमीकल्स/फिल्म आदि) क्रय हेतु बिड्स

मुद्रणालय को वर्ष 2020-21 की अवधि (अनुबंध तिथि से 31.03.2021 तक) के लिए प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार की मुद्रण सामग्री यथा प्लेट, कैमीकल्स, फिल्म एवं स्याहीयां आदि क्रय करने हेतु बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट/वास्तविक विक्रेता से सीलबंद टू बिड पद्धति से बिड्स दिनांक 26.02.2020 को सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बिड दो बन्द लिफाफो में हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत की जावेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र परिशिष्ट "अ" में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय बिड प्रपत्र परिशिष्ट "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी।

तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड मोहरबन्द लिफाफे में अलग-अलग भेजी जानी चाहिये जिसमें तकनीकी बिड के लिफाफे में बोली प्रतिभूति राशि एवं अन्य सूचना का विवरण तथा वित्तीय बिड के लिफाफे में सामग्री की दरें व अन्य विवरण अंकित होंगे। प्रथम लिफाफे पर वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए मुद्रण सामग्री क्रय हेतु "तकनीकी बिड" तथा द्वितीय लिफाफे पर वर्ष 2020-21 की अवधि में मुद्रण सामग्री क्रय हेतु "वित्तीय बिड" लिखा होना चाहिये। बिड्स निर्धारित बिड प्रपत्र में भरकर ठीक प्रकार से लिफाफे में सीलबंद कर उचित रूप से "मुद्रण सामग्री क्रय हेतु बिड्स" लिखा जाकर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर को सम्बोधित करते हुये प्रस्तुत किया जाना चाहिये। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता का ही द्वितीय बिड का लिफाफा "वित्तीय बिड" को खोला जायेगा। बिड प्रपत्र एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com व sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। बिड प्रपत्र एवं शर्तें इस कार्यालय में रु. 500/- नकद/डी.डी. भेजकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त बिड्स में तकनीकी बिड के लिफाफों को दिनांक 27.02.2020 को दोपहर 2.00 बजे उपस्थित बोलीदाता फर्मों के समक्ष खोली जावेगी। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार है। **बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित हैं, द्वारा "राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०" के पक्ष में जमा करानी होगी।** उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ संलग्न करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि **मुद्रणालय के पक्ष में पूर्व वर्णित तरीको से किसी एक द्वारा** जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सफल बोलीदाता को सामान के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराना होगा तथा लिखित करार (अनुबन्ध) कराना होगा। अन्य कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उक्त संबंध में संस्था के महाप्रबंधक श्री सुनील दत्त शर्मा फोन 0141-2751417 एवं ई-मेल : raj_coop_press@yahoo.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2021 तक होगी। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्न : बिड प्रपत्र एवं शर्तें

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०,
जी-1 / 138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2020-21 की अवधि के लिये मुद्रण सामग्री (स्याहियां / प्लेट / कैमीकल्स / फिल्म आदि)
क्रय हेतु बिड प्रपत्र प्रथम "तकनीकी बिड"

1. बिड प्रपत्र मूल्य 500.00 रुपये
2. बिड प्राप्ति की दिनांक 26.02.2020 को सांय 5.00 बजे तक
3. तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 27.02.2020 को दोपहर 2.00 बजे
4. बिड का अनुमानित मूल्य 9.00 लाख रुपये

(सभी कॉलम की पूर्ति करना अपेक्षित है)

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता.....
.....
बोलीदाता फर्म का कार्यालय / गोदाम / कार्यशाला का पूर्ण पता
.....
फोन नं. ई-मेल मोबाइल नं.
1. बिड प्राप्तकर्ता - प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर

1	बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत 9.00 लाख रुपये का 2% (18000 रुपये)	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण
2	बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ प्रस्तुत है। इस प्रकार की ईकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत (4500 रुपये) बोली प्रतिभूति राशि मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है।	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण
3	स्याहियां के बोनाफाइड विनिर्माता / थोक विक्रेता / सोल वितरक / प्राधिकृत डीलर / डीलर / सोल विक्रय / विपणन एजेण्ट / वास्तविक विक्रेता का घोषणा-पत्र मय साक्ष प्रस्तुत (एस. आर. 11 संलग्न है।)	
4	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन एवं अंतिम तिमाही की जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति संलग्न है।	
5	बोलीदाता के पैन पंजीकरण एवं कर निर्धारण वर्ष 2019-20 की आई.टी.आर. की के प्रति संलग्न है।	
6	विगत वर्षों में संविदा के तहत मुद्रण सामग्री आपूर्ति के कार्य का अनुभव का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)	

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या दिनांक के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पाददर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :-

- (1) यह कि मुद्रणालय को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
- (2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
- (3) यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
- (4) यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये है।
- (5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।
- (6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

मो0नं0.....

प्रपत्र "ब"

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017
फोन नं. 0141-2751417, 2751352

वित्तीय बिड

वर्ष 2020-21 की अवधि के लिये मुद्रण सामग्री (स्याहीयां/प्लेट/कैमीकल्स/फिल्म आदि)
क्रय हेतु बिड प्रपत्र द्वितीय "वित्तीय बिड"

1. बोलीदाता फर्म का नाम व पूर्ण पता.....

2. मुद्रणालय को मुद्रण सामग्री(स्याहीयां/प्लेट/कैमीकल्स/फिल्म आदि) सप्लाई हेतु हमारे द्वारा बिड में प्रस्तुत दरें निम्नानुसार है :-
 अनुमानित राशि 9.00 लाख रुपये (नौ लाख रुपये)

क्र० सं०	विवरण	प्रस्तावित दर
(1) मुद्रण सामग्री (प्लेट/कैमीकल्स/फिल्म) हेतु दरें अनुमानित 9.00 लाख रुपये		
(अ)	फिल्म/कैमीकल्स	मात्रा
1.	प्रोसेस फिल्म 20"X100'	प्र० रोल
2.	फिल्म डवलपर	प्र० लीटर
3.	फिक्सर (हाइपो)	प्र० कि.ग्रा.
4.	सेलो टेप व्हाईट (ट्रान्सपेरेंट)1/2"	प्र० पैकेट
5.	रेड टेप 1/2"	प्र० पैकेट
6.	आर्ट ब्लेड पैकेट (100 ब्लेड्स)	प्र० पैकेट
7.	प्रिन्टोप्रिन्ट एनहांसर	प्र० लीटर
(ब)	प्लेट्स	
1.	पी.एस. 1. 20.5X25.75(28 एमएम) (522"X640") 2. 23 X36(28 एमएम) (770"X927")	प्र० नग
(स)	कैमिकल व सामग्री	
1.	पी.एस. डवलपर (लिविड) - (1 : 9) वाईपऑन	प्र० लीटर
2.	सेन्सीटाईज्जर (ए+बी)	प्र० लीटर
3.	वाईपऑन फिनीशर	प्र० लीटर
4.	वाईपऑन डवलपर	प्र० लीटर
5.	गम अरेबिक (मोटा)	प्र० कि.ग्रा.
6.	कॉटन (500 ग्राम प्र० पैकेट)	प्र० पैकेट
7.	स्पन्ज	प्र० नग
8.	पी.एस. डिलिट	प्र० नग
9.	प्लेट क्लीनर (जी. पी.)	प्र० लीटर
10.	फाउन्ट	प्र० लीटर
11.	बेनजीन	प्र० लीटर
12.	एस्ट्रोलोन शीट (0.10 एमएम) 125/175	प्र० कि.ग्रा.
13.	डेम्पेनिंग होसेस 160 एमएम	प्र० मीटर
	170 एमएम	प्र० मीटर
	190 एमएम	प्र० मीटर
	210 एमएम	प्र० मीटर

14.	वॉश (मल्टी परपज)	प्र0 लीटर	
15.	ब्लैकेट काउज (4प्लाई)	प्र0 नग	
16.	फासफोरस ऐसिड (250ml) प्र0	प्र0 बो0	
(द)	ट्रेसिंग पेपर		
1.	1. ए-4 साईज	प्र0 पैकेट	1.
	2. लीगल साईज	(250 शीट)	2.
	3. ए-3 साईज		3.
2.	जीरोक्स पेपर	प्र0 पैकेट	1.
	1. ए-4 साईज (70GSM)	(500 शीट)	2.
	2. लीगल साईज (70GSM)		
(न) स्याहीयां (ऑफसेट) [As per IS:6830-1973 As Ammended]			
1.	ब्लेक	प्र0 किलो	
2.	येलो	प्र0 किलो	
3.	ऑरेंज	प्र0 किलो	
4.	रॉयल ब्लू	प्र0 किलो	
5.	ग्लोरिया रेड	प्र0 किलो	
6.	मेजेन्टा	प्र0 किलो	
7.	स्यान	प्र0 किलो	
8.	विविड ग्रीन	प्र0 किलो	
9.	फोर कलर सेट	प्र0 किलो	
10.	रिड्यूसर	प्र0 किलो	
11.	ड्रायर	प्र0 किलो	
12.	एम.आई.सी.आर. इंक (डी.आई.सी. कोड)	प्र0 किलो	

3. बिड प्रपत्र के साथ बिड एवं संविदा की जो शर्तें संलग्न है, हमें स्वीकार है।
4. सभी दरें जी.एस.टी. रहित (Without GST) अंकित है।
5. राशि का अंकन अंको एवं शब्दों में सुस्पष्ट अंकित किया जायें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर
मुद्रण सामग्री क्रय हेतु बिड्स एवं संविदा की शर्तें

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय बिड प्रपत्र एवं इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघुहस्ताक्षर अंकित होने चाहिए।

- वर्ष 2020-21 की अवधि के लिये मुद्रणालय को विभिन्न प्रकार की मुद्रण सामग्री यथा प्लेट, कैमीकल्स, फिल्म, स्याहीयां एवं कम्प्यूटर सामग्री आदि क्रय हेतु बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट/वास्तविक विक्रेता से टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) हस्ताक्षर युक्त दिनांक 26.02.2020 को सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत की जावेगी। (1) तकनीकी बिड प्रपत्र "अ" में तकनीकी एवं अन्य विवरण तथा (2) वित्तीय बिड प्रपत्र "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी
- सर्वप्रथम तकनीकी बिड को दिनांक 27.02.2020 को दोपहर 2.00 बजे खोला जावेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड्स को खोला जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
- विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- बिड केवल उन्हीं फर्मों/व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिये, जो निर्माता हो अथवा संबंधित सामग्री के लिए रजिस्टर्ड/अनुमोदित वितरक हो या वास्तव में उस सामान के विक्रेता हो, जिसके लिए बिड दी है।
- आपूर्ति किये जाने वाला माल निर्धारित विवरणों के अनुसार एवं अनुमोदित स्टेण्डर्ड सैम्पल से मिलता हुआ सर्वोत्तम किस्म का होगा, अन्यथा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- स्याहियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मानक **(As per IS:6830-1973 As Ammended)** एवं इसमें संशोधित नवीनतम मानको के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्याही की आपूर्ति की जावेगी। मुद्रणालय आवश्यकता होने पर इसकी जाँच मान्यता प्राप्त संस्थान से करवाने के लिए स्वतन्त्र होगा। जाँच रिपोर्ट निर्धारित मानको के अनुसार नहीं पाये जाने पर जाँच हेतु किये गये व्यय की वसूली अनुबन्धकर्ता से की जावेगी तथा आपूर्ति में हुए विलम्ब के कारण हुए नुकसान की भरपाई अनुबन्ध करता से वसूली योग्य होगी।
- फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।
- संस्था को माल के निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता/मेक आदि के बारे में जांच करने की शक्ति रहेगी।
- बोलीदाता को अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला का पूर्ण पता मुद्रणालय को देना होगा, ताकि संस्था द्वारा निरीक्षण किया जा सके तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
- यदि अनुमोदित गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न माल सप्लाई किया जाता है तो उसको अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा उसको बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर वितरक द्वारा बदलना होगा।
- सभी दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर होगी, जिसके लिए कोई कार्टेज व अन्य किसी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
- बिड देने वाली फर्म जिसकी बिड स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि में माल वितरण करने के लिए बाध्य होगी।
- बिड में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। कोई भी ओवरराइटिंग नहीं की जानी चाहिए।
- बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में बिड एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने होंगे जो कि अनुबन्ध का भाग होगा।

(2)

15. तकनीकी एवं वित्तीय बिड अपलोड करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत या लघु उद्योग इकाई के मामले में आधा प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बिड के साथ बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/बैंकर्स चैक/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित हैं, द्वारा "राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0" के पक्ष में जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिस फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें यह बोली प्रतिभूति राशि बिड की अंतिम स्वीकृति होने के एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) के रूप में समायोजित किया जावेगा।
16. पूर्व में मुद्रणालय में जमा बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का निविदा के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
17. राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये लघु उद्योग इकाईयों के पंजीयन की मूल प्रति अथवा स्वप्रमाणित फोटो प्रति बिड के साथ संलग्न करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि मुद्रणालय में डीडी या बिन्दु संख्या 15 में वर्णित किसी तरीके से जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
18. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तों को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार निविदा राशि की पांच प्रतिशत राशि के रूप में कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार एक प्रतिशत सिक्कूरिटी के रूप में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्कूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्कूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता को वहन करना पडेगा। क्रयकर्ता अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में बिड निरस्त कर दी जावेगी।
19. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
20. यदि अनुमोदित वितरक निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति निविदादाता फर्म से की जावेगी।
21. मुद्रणालय अनुमोदित वितरक द्वारा सप्लाई नहीं की गई मुद्रण सामग्री या अनापूरित मुद्रण सामग्री या आपूरित मुद्रण सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत होने की स्थिति में लिखित में सात दिवस को नोटिस दे सकता है एवं बाद उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित वितरक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित वितरक के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय द्वारा अधिक व्यय वहन करना पडेगा, वह उसकी सिक्कूरिटी राशि में से पूरा किया जावेगा।

(3)

- 22.1. सामग्री/माल निश्चित किये गये गोदाम पर अच्छी दशा में सम्भलवाया जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पड़ेगा।
2. सामग्री का भुगतान बिल प्राप्त के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
3. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बिड स्वीकृत करने के लिए प्रयास करने पर अयोग्यता माना जावेगा।
23. मुद्रणालय किसी भी बिड को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम बिड को ही स्वीकार करें। वह किसी भी बिड/बिड के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।
24. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म के लिए जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र एवं अंतिम तिमाही में प्रस्तुत जी.एस.टी. की रिटर्न की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
25. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर निम्नानुसार शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा सिक्यूरिटी राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी:-
- | | |
|---|------|
| (क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए; | 2.5% |
| (ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए; | 5% |
| (ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए; | 7.5% |
| (घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए; | 10% |
26. फर्म को पंजीकृत प्रमाण-पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान/कम्पनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप निम्नानुसार है:-

एस.आर प्रारूप - 11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सहपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(4)

27. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
28. प्रस्तुत दरो में जी.एस.टी. अतिरिक्त होगा।
29. सामग्री वर्ष भर में मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार ही क्रय की जावेगी।
30. बिड्स अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2021 तक होगी। आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से नियमों के तहत आगे बढ़ाई जावेगी, एवं मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि से पूर्व अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
31. बिड स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, सहकारी मुद्रणालय को होगा।
32. फर्म/बोलीदाता की पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।
33. दरो में शब्दों एवं अंकों में अंतर होने पर शब्दो वाली दर सही मानी जावेगी।
34. निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने/समय पर सामान की आपूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार शास्ती लगायी जायेगी।
35. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।
36. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
37. बोलीदाता या बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि को समस्त बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना होगा एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोली प्रस्तुत करने की स्थिति में उनके पक्ष में बोलीदाता द्वारा जारी अधिकृत पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
38. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।
39. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं अन्य सभी संगत विधिक प्रावधान लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त निविदा शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता मोहर